एपीपी कौन बना सकता है?

कोई भी व्यस्क (कम से कम 18 वर्ष की आयु वाला), जिसका कोई भी नामित अभिभावक नहीं है (व्यस्कों की अभिभावकता अधिनियम के तहत); तथा जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है।

निर्णय लेने की शक्ति होने के लिए, यह अनिवार्य है कि आप:

- सूचना को समझते हैं और बनाये रख सकते हैं
- निर्णय लेने के लिए सूचना का आकलन कर सकते हैं
- उस निर्णय को बता सकते हैं।

एपीपी में क्या-क्या शामिल किया जा सकता है?

अपनी योजना में क्या शामिल करना है यह आपकी इच्छा है। आप निम्नांकित में से किसी भी चीज़ के बारे में निर्देश शामिल कर सकते हैं:

- आपकी स्वास्थ्य देखभाल;
- जीवनशैली से जुड़ी आवश्यकताएँ
- आपके वित्तीय मामले;
- आप क्या चाहते हैं कि कौन आपके लिए निर्णय ले।

अगर आपकी योजना के बारे में आपका मन बदल जाता है तो आप किसी भी समय इसमें संशोधन कर सकते हैं या इसे रद्द कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास तब भी निर्णय लेने की क्षमता हो।

एपीपी के तीन भाग होते हैं। आपको इन तीनों को भरना ज़रुरी नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप इन्हें ध्यान से पढ़ लें।

1. अग्रिम देखभाल वक्तव्य

यह एक वक्तव्य होता है जो आपकी पसंद के बारे में तथा इस बारे में होता है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति आपके लिए निर्णय ले तो आपकी इच्छा क्या है कि उसे कैसे काम करना चाहिए।

इसमें दैनिक जीवन-यापन से जुड़ी बाते कवर होती हैं उदाहरण के लिए आप कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, आपका आहार, स्वास्थ्य देखभाल, आवास, रोज़गार, शिक्षा, साँस्कृतिक या आध्यात्मिक अनुरोध, वित्तीय मुद्दों, परिसंपत्तियों का रखरखाव या संपत्ति के स्वामित्व के बारे में आप क्या चाहते हैं।

2. अग्रिम सहमति निर्णय

यह आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के लिए क़ानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और इनमें अंग प्रत्यारोपण, पैलिएटिव केयर, लाइफ सपोर्ट के बारे में निर्देश, या विशेष दिशानिर्देश उदाहरण के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न्स, गैस्टिक ट्यूब से फीडिंग नहीं करवानी है आदि चीज़ें शामिल हो सकती हैं। डाक्टरों तथा मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य देखभाल तथा चिकितचसीय उपचार के समय आपके निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है।

अपनी स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित निर्णयों के बारे में आपको किसी मेडिकल प्रोफेशनल से बात करने की सिफारिश की जाती है।

3. निर्णय-कर्ता

आप एक या अधिक निर्णय-कर्ता नियुक्त कर सकते हैं, जो अलग-अलग या संयुक्त रुप से काम कर सकते हैं, या अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग निर्णयकर्ता नियुक्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए आपके स्वास्थ्य देखभाल संबंधी कामों के लिए एक व्यक्ति तथा आपके वित्तीय मामलों को संभालने के लिए कोई अन्य व्यक्ति। यह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर आपको इन निर्णयों के बारे में भरोसा है।

एपीपी के अंतर्गत नियुक्त किये गये निर्णयकर्ता को, एपीपी बनाने, बदलने या रद्द करने की अनुमति नहीं होती है।

एपीपी कब लागू होती है?

एपीपी हस्ताक्षरित और प्रमाणित किये जाने के बाद शुरु होती है। यह तब तक लागू रहती है जब तक कि आप इसमें संशोधन नहीं करते या इसे रद्द नहीं करते, या इसमें दी गई समयावधि समाप्त नहीं हो जाती। यह तभी लागू की जाती है जब आप अपने निर्णय ख़ुद लेने में सक्षम नहीं रहते। नॉर्दर्न टेरीटोरी सिविल एवम् एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स ट्रायब्यूनल के पास भी, कुछ परिस्थितियों में एपीपी में संशोधन करने या उसे पुनः लागू करने की शक्ति होती है।

पॉवर ऑफ अटोर्नी तथा वसीयत पर प्रभाव

एपीपी आपकी पॉवर ऑफ अटोर्नी (पीओए) तथा वसीयत को प्रभावित नहीं करती है।

आपमें जब तक निर्णय लेने की क्षमता होती है केवल तभी तक पीओए लागू होती है।

मैं एपीपी कैसे बना सकता हूँ?

1. नॉर्दर्न टेरीटोरी के पब्लिक ट्रस्टी कार्यालय से या https://nt.gov.au/law/rights/ वेबसाइट से **एक एपीपी फॉर्म प्राप्त करें**।

2. **एपीपी को अंतिम रूप दें**, तथा अधिकृत साक्षियों द्वारा उसकी गवाही करवायें (उपयुक्त साक्षियों (विटनेसेज़) की सूची फॉर्म पर उपलब्ध है)।

3. नॉर्दर्न टेरीटोरी के सार्वजनिक ट्रस्टी के पास **अपनी एपीपी का पंजीकरण करवाएँ**। यह ऐच्छिक है लेकिन यदि आपके लिए निर्णय लेने वालों या मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास इसकी प्रति नहीं है तो, ऐसा करने से इसे खोजना आसान होता है। पंजीकरण निःशुल्क होता है, एक पंजीकरण आवेदन फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है।

4. **यदि आपने एक निर्णय-कर्ता को नियुक्त किया है** जो अचल संपत्ति या ज़मीन से संबंधित निर्णय ले सकते हैं, तो आपकी एपीपी के उस भाग को नॉर्दर्न टेरीटोरी लैंड टाइटल कार्यालय के पास पंजीकृत करवाना अनिवार्य है, अन्यथा लैंड टाइटल कार्यालय द्वारा उस अथॉरिटी को मान्यता नहीं दी जाएगी। शुल्क लागू है।

5. **अपने ईहैल्थ रिकॉर्ड को अपडेट करें**, यदि आपकी एपीपी में स्वास्थ्य देखभाल के निर्णय शामिल हैं तो। यदि आपका ईहैल्थ रिकॉर्ड नहीं है तो, आप निम्नांकित में से किसी एक के माध्यम से इसके लिए पंजीकरण करवा सकते हैं:

- ऑनलाइन www.myhealthrecord.gov.au
- 1800 723 471 पर फोन द्वारा
- किसी चिकित्सा केन्द्र में
- स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाले किसी संगठन द्वारा सहायता के साथ पंजीकरण करवाकर।

6. **अपनी एपीपी को किसी सुरक्षित स्थान पर रखें**, जैसे कि आपकी वसीयत के साथ। इसकी एक प्रमाणित प्रति अपने निर्णयकर्ता को दे दें। एक प्रति अपने सामान्य चिकित्सक (जीपी) और या वृद्ध देखभाल सेवा प्रदाता को देने के बारे में विचार करें।

उपयोगी संपर्क

सीओटीए एनटी (COTA NT)
Spillett House
65 Smith St.
Darwin
ईमेल: admin@cotant.org.au
फोन: (08) 8941 1004

PICAC NT

एनटी पब्लिक ट्रस्टी कार्यालय
फोन: (08) 8999 7271

डार्विन कम्युनिटी लीगल सर्विस इंक
फोन: (08) 8982 1111

कॉमनवैल्थ माय हैल्थ रिकॉर्ड
फोन: 1800 723 471

सूचना संसाधन:
एनटी एटोर्नी जनरल एवम् न्याय विभाग,
www.nt.gov.au/law/rights/advance-personal-plan
डार्विन कम्युनिटी लीगल सर्विस
www.dcls.org.au

इस तथ्य-पत्रक में निहित सूचना जनवरी 2019 को वर्तमान है।

अस्वीकरण: इस प्रकाशन में निहित सूचना नॉर्दर्न टेरीटोरी में क़ानून के लिए एक मार्गदर्शक है। यह क़ानूनी सलाह का विकल्प (सब्सट्टीट्यूट) नहीं है। अपनी विशेष क़ानूनी समस्याओं के बारे में आपको एक वकील से बात करनी चाहिए।

टिप्पणी:
अग्रिम निजी योजनाएँ, वो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होते हैं जो आपके निर्णयों का संरक्षण करती हैं।
यह फॉर्म पूरा करने के लिए, क़ानूनी सलाह तथा स्वास्थ्य देखभाल मामलों के बारे में किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह लेने पर विचार करें।

COTA
NORTHERN TERRITORY
for senior Territorians

अग्रिम निजी योजना (एपीपी) क्या है

अग्रिम निजी योजना (एडवांस पर्सनल प्लान) एक क़ानूनी दस्तावेज़ होता है जिसमें भविष्य में, यदि आप अपने लिए स्वयँ निर्णय नहीं ले सकें तो, आपके स्वास्थ्य, वित्तीय तथा जीवन संबंधी चयनों का वर्णन होता है।

ऐसा आयु, अस्वस्थता, दुर्घटना, या जीवन को बदल देने वाले अन्य वृतांत के कारण हो सकता है।

नॉर्दर्न टेरीटोरी में एपीपी ने मार्च 2014 में एन्ड्यूरिंग पॉवर ऑफ अटोर्नी (ईपीए) की जगह ले ली थी। इस दिनांक से पहले बनाई गई ईपीए की वैधता बनी हुई है।

Hindi